



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227494
CG-DL-E-11062021-227494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2097]
No. 2097]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2257(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान), नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि मैसर्स ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल पर लाभार्थियों के 'जी हां' अथवा 'जी नहीं' अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सहित स्वैच्छिक आधार पर जांच के लिए आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाती है:

- (i) क्रेडिट लिंकड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल पर सरकारी योजनाओं के संबंध में ऋण की स्वीकृति अथवा सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों अथवा लाभार्थियों का सत्यापन।
- (ii) आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए लाभार्थियों के आंकड़ों का सत्यापन करना और पहले ही दर्शाना।
- (iii) सब्सिडी प्रक्रिया के दौरान आंकड़ों का सत्यापन।
- (iv) इसकी जांच करना कि ग्राहक अथवा लाभार्थी ने किसी योजना के अंतर्गत पहले ही कोई लाभ लिया है या नहीं।

मैसर्स ऑनलाई पीएसबी लोन लिमिटेड निम्नलिखित सहित आधार अधिप्रमाणन के प्रयोग के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा:

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में अधिप्रमाणन के प्रयोजन हेतु अधिवासी से सूचित सहमति प्राप्त की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु मांगी गई आधार संख्या और संबंधित सूचना से अधिवासी को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाएगा। विशेष रूप से आधार संख्या एकत्र करने, संग्रहित करने और प्रयोग करने की पद्धति की स्पष्ट जानकारी अधिवासी को दी जाएगी।
- (ii) अपवादात्मक संचालन से संबंधित उपबंधों को उक्त अधिनियम और इसके संगत विनियमों के अनुसार सख्ती से लागू किया जाएगा।
- (iii) आधार आधारित अधिप्रमाणन में विफल होने के कारण अधिवासी को किसी प्रकार की सेवा अथवा लाभ के लिए मना नहीं किया जाएगा।
- (iv) अधिवासी को पहचान अथवा सत्यापन की वैकल्पिक प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा क्योंकि आधार अधिप्रमाणन का तत्काल प्रयोग पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर अनुमत्त है।
- (v) प्रणाली में कहीं भी आधार संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और जहां कहीं आवश्यक हो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (vi) आधार संख्या को आधार डाटा कोष्ठ में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा।
- (vii) अधिवासी की ई-केवाईसी सूचना का पूर्ण ब्यौरा स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल आवश्यक जनसांख्यिकीय ब्यौरे जैसे प्रथम नाम, जन्म का वर्ष आदि को प्रदर्शित किया जाएगा।
- (viii) लाभार्थियों का बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन मैसर्स ऑनलाई पीएसबी लोन लिमिटेड द्वारा पंजीकृत अथवा सत्यापित ऑपरेटर के द्वारा सहायक पद्धति अथवा नियंत्रित परिस्थिति में किया जाएगा।

[फा.सं. 28/1/2020-बीओ.II]

मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2257(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Department of Financial Services, Ministry of Finance, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that M/s Online PSB Loans Limited is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for verification, including Yes or No authentication and e-KYC, of beneficiaries on the National Portal for Credit Linked Government Schemes, for the purposes given below:

- (i) Verification of customers or beneficiaries applying for credit sanction and subsidy for the Government schemes hosted on under National Portal for Credit Linked Government Schemes.
- (ii) Verification and Pre- filling of the beneficiaries' data for processing applications.
- (iii) Verification of data at time of Subsidy Processing.
- (iv) To check whether the customer or beneficiary has already availed the benefit under any scheme.

M/s Online PSB Loans Limited shall adhere to the guidelines laid down by the Central Government with respect to use of Aadhaar authentication, including the following:

- (i) The informed consent of the resident shall be obtained for the purpose of authentication in terms of Section 29 of the said Act. The purposes for which the Aadhaar number and related information is being sought shall be communicated clearly to the resident. Specifically, the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored and used shall be clearly communicated to the residents.
- (ii) Provisions related to exception handling shall be implemented strictly in accordance with the said Act and its associated regulations.
- (iii) There shall be not denial of any service or benefit to resident on account of failure of Aadhaar based authentication.
- (iv) The resident shall be informed of alternate mechanism of identification or verification as the instant usage of Aadhaar Authentication is permitted purely on voluntary basis.
- (v) There shall not be display of Aadhar number anywhere in system and wherever required only last four digits of Aadhaar number shall be displayed.
- (vi) Aadhaar numbers shall be stored securely in Aadhaar Data Vault.
- (vii) Complete details of the e-KYC information of the resident shall not be displayed on the screen, instead only necessary demographic details such as first name, year of birth etc. shall be displayed.
- (viii) Biometric authentication of beneficiaries shall be performed only in assisted mode or controlled environment by the operator registered or verified by M/s Online PSB Loans Ltd.

[F.No. 28/1/2020-BO.II]

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.